

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 /

भोपाल, दिनांक

आदेश

श्री अमरसिंह उइके, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) उप स्वास्थ्य केन्द्र, कन्दई (बैहर) जिला बालाघाट का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी के अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

समन्वय में अनुमोदित

अपर संचालक (प0क0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 / 1482

भोपाल, दिनांक 23-12-2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट/सिवनी की ओर भेजकर की ओर लेख है कि उपरोक्त एम.पी.डब्ल्यू को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निर्लंबित, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अथवा संदिग्ध कर्मचारियों की सूची में तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित एम.पी.डब्ल्यू को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि एम.पी.डब्ल्यू का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।


कृ.पृ.उ.

5. जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट/सिवनी मध्यप्रदेश।

6. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

7. श्री अमरसिंह उइके, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू.) उप स्वास्थ्य केन्द्र, कन्दई (बैहर) जिला बालाघाट की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।

8. आदेश नस्ती।

  
20/12/19  
अवर संचालक (प0क0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 /

भोपाल, दिनांक

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3 / प.क. / स्थापना / 2019 / 854 दिनांक 03.08.2019 के स.क्र. 3 द्वारा श्रीमती अर्चना बाल्मिक, ए.एन.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलेरा जिला टीकमगढ का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना के अधीन किया गया स्थानान्तर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
द्वारा अनुमोदित ।

उप संचालक (प0क0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 13-11-2019

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 / 1208  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर म0प्र0
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती बाल्मिक को पूर्व पदस्थापना स्थल पर उपस्थित करावें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना म0प्र0 ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, टीकमगढ / पन्ना मध्यप्रदेश ।
8. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
9. श्रीमती अर्चना बाल्मिक, ए.एन.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलेरा जिला टीकमगढ की ओर पालनार्थ ।
10. आदेश नस्ती ।

13  
13-11-2019  
उप संचालक (प0क0)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/724


भोपाल, दिनांक 05.07.2019

आदेश

निम्नलिखित बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता(एम.पी.डब्ल्यू)को कॉलम नंबर 04 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 05 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती अल्पना सूर्यवंशी	ए.एन.एम.	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर जिला श्योपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के अधीन
2.	श्रीमती पावर्ती पटेल	बी.ई.ई.	सामु.स्वा.केन्द्र, करकली, जिला उमरिया	जिला चिकित्सालय सतना
3.	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव	बी.ई.ई.	सामु.स्वा.केन्द्र, जेतहरी, जिला अनूपपुर	सामु.स्वा.केन्द्र, करकली, जिला उमरिया
4.	श्री आनन्द किरार	एम.पी.डब्ल्यू.	स्वा.केन्द्र, आलमपुर, टिमरनी, जिला हरदा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन

माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुमोदित

  
संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/725  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 05.07.2019

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, रीवा, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्योपुर, ग्वालियर, उमरिया, अनूपपुर, सतना, हरदा, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सतना म0प्र0 ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, श्योपुर, ग्वालियर, उमरिया, अनूपपुर, सतना, हरदा, भोपाल मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस.; स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ । महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनकी वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
10. आदेश नस्ती।

Pl. upload  
/3a

  
संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक /03/प.क./स्थापना/2019/

भोपाल, दिनांक 07.2019

आदेश

पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस, स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1498/रीडर/अप.क्र.-85/19/विपुस्था./2019 ग्वालियर दिनांक 4.5.2019 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर को अवगत कराया गया है कि श्रीमती दीप्ती तोमर, ए.एन.एम. स्वास्थ्य केन्द्र, सतनवाडा जिला शिवपुरी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 85/2019/ धारा-7 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 विशेष पुलिस, स्थापना, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा दिनांक 2.5.2019 को पंजीबद्ध किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ.11-18/2011/1-10 दिनांक 23.2.2012 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.6-1/2019/एक/9/ भोपाल दिनांक 04.06.2019 को जारी स्थानान्तरण नीति 2019-20 की कंडिका 11.11 के अधीन श्रीमती दीप्ती तोमर, ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केन्द्र, तानपुर विकासखंड सतनवाडा जिला शिवपुरी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से समान सामर्थ्य में प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड के अधीन (रिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में) किया जाता है।

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक /03/प.क./स्थापना/2019/723

भोपाल, दिनांक 07.2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज-सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, की ओर उनके पत्र क्रमांक स्था. नर्सिंग/2019/5966-75 दिनांक 16.5.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती दीप्ती तोमर, ए.एन.एम. को तत्काल स्थानान्तरित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर अवगत कराए।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इनकी पदस्थापना उप स्वास्थ्य केन्द्र, में रिक्त ए.एन.एम. के पद पर की जाकर अवगत कराए।
7. जिला कोषालय अधिकारी, शिवपुरी/भिण्ड मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
9. श्रीमती दीप्ती तोमर, ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केन्द्र, तानपुर विकासखंड सतनवाडा जिला शिवपुरी द्वारा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिवपुरी की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/264

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

## आदेश

निम्नलिखित बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को कॉलम नंबर 04 की वर्तमान पदस्थापना जिले से कॉलम नंबर 05 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शिवप्यारी धुर्वे अ.ज.जा.	ए.एन.एम.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, टोकरा जिला बैतूल	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरेल जिला खरगौन
2	श्रीमती भागो काकोडिया, अ.ज.जा.	ए.एन.एम.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरेल, जिला खरगौन	उप स्वास्थ्य केन्द्र, टोकरा जिला बैतूल
3	श्रीमती अनिता जाटव, अ.जा.	ए.एन.एम.	उप स्वा.केन्द्र, पुरागुसाई (ग्यारसपुर) जिला विदिशा	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखनपुरा, जिला ग्वालियर
4	श्री प्रवीण मालवीय अ.जा.	एम.पी.डब्ल्यू.	सामु. स्वा.केन्द्र, सेहरा, जिला बैतूल	सामु.स्वा. केन्द्र, बैरसिया जिला भोपाल

माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
विभाग म0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित


संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/265  
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।

कृ.पृ.उ.

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल, खरगौन, विदिशा, ग्वालियर, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी आदेश में उल्लेखित संवर्ग का नहीं होने पर कार्यमुक्त न करें। इसके अतिरिक्त संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला कोषालय अधिकारी, बैतूल, खरगौन, विदिशा, ग्वालियर, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं एम.पी.डब्ल्यू. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनकी वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
9. आदेश नस्ती।

  
 संचालक (प्रशासन)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 / 262

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

## आदेश

श्रीमती ममता धारीवाल, (अ.पि.वर्ग) बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) उप स्वास्थ्य केन्द्र, घिपया जिला आगर मालवा का स्थानान्तर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र, हडलायकलौ जिला शाजापुर स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
विभाग म0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2019 / 263  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आगर मालवा एवं शाजापुर मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी आदेश में उल्लेखित संवर्ग का नहीं होने पर कार्यमुक्त न करें। इसके अतिरिक्त संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला कोषालय अधिकारी, आगर मालवा एवं शाजापुर मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनकी वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
9. आदेश नस्ती।

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/ 260

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

## आदेश

श्री अब्दुल रफीक शेख बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिला मलेरिया कार्यालय बडवानी का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर के अधीन रिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, में स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
विभाग म0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2019/ 261  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बडवानी एवं इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि सम्बंधित कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानान्तरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानान्तरित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) को कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्ल्यू.) का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानान्तरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें। (सी. एम.एच.ओ. इन्दौर श्री शेख को रिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ कर संचालनालय को सूचित करेंगे)
6. जिला मलेरिया अधिकारी, बडवानी म0प्र0।
7. जिला कोषालय अधिकारी, बडवानी एवं इन्दौर मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
9. श्री अब्दुल रफीक शेख बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिला मलेरिया कार्यालय बडवानी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित होने के उपरांत स्थानान्तरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनकी वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
10. आदेश नस्ती।

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

सशोधित आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल के पत्र क०-3/प.क./सेल-3/2019/05 भोपाल दिनांक. 02/01/2019 के द्वारा श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा० कार्यकर्ता उप० स्वा० केन्द्र करसरा कोटी मे अतिशेष होने के कारण श्रीमती अमृता द्विवेदी पदस्थापना संशोधन करते हुये इनकी पदस्थापना रिक्त पद पर उप० स्वा० केन्द्र बेला सा०स्वा०केन्द्र अमरपाटन की गयी है।

अतःउक्त आदेश के परिपालन मे श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा० कार्यकर्ता उप०स्वा०केन्द्र करसरा को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिती ब्लाक मेडिकल आफिसर सा०स्वा०केन्द्र अमरपाटन को देकर उप०स्वा०केन्द्र बेला मे अपना कार्य सम्पादित करे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सतना म०प्र०  
सतना दिनांक. 8-1-19

पू.क०/स्था.नर्सि/2018-19/183-84  
प्रतिलिपि--सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 उप संचालक ( परिवार कल्याण ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म०प्र०भोपाल ।
- 2 खड चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र .कोटी.जिला सतना म.प्र.
- 3 खण्ड चिकित्सा अधिकारी सा०स्वा०केन्द्र अमरपाटन जिला सतना म.प्र।
- 4 जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना म.प्र।
- 5 लेखापाल स्थानीय कार्यालय।
- 6 संबंधित कर्मचारी श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा०कार्यकर्ता उप०स्वा०केन्द्र करसरा कोटी की ओर पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सतना म०प्र०

PL. upload  
SA  
10.01.2019  
उप संचालक (परिवार कल्याण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये  
मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना म0प्र0  
क0/मु0चि0/नर्सि/2019/ सतना दिनांक.....

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल के पत्र क0-3/प.क./सेल-3/2019/05 भोपाल दिनांक. 02/01/2019 के द्वारा श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा0 कार्यकर्ता उप0स्वा0केन्द्र करसरा कोठी की पदस्थापना संशोधन करते हुये इनकी पदस्थापना रिक्त पद पर उप0स्वा0केन्द्र बेला सा0स्वा0केन्द्र अमरपाटन की गयी है।

अतः उक्त आदेश के परिपालन मे श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा0 कार्यकर्ता उप0स्वा0केन्द्र करसरा को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिती ब्लाक मेडिकल आफिसर सा0स्वा0केन्द्र अमरपाटन को देकर उप0स्वा0केन्द्र बेला मे अपना कार्य सम्पादित करे।

1)  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सतना म0प्र0

पृ.क0/स्था.नर्सि/2018-19/102-03

सतना दिनांक. 05.01.19

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप संचालक ( परिवार कल्याण ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म0प्र0भोपाल ।
2. खड चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र .कोठी...जिला सतना म.प्र।
3. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सा0स्वा0केन्द्र अमरपाटन जिला सतना म.प्र।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना म.प्र।
5. लेखापाल स्थानीय कार्यालय।
6. संबंधित कर्मचारी श्रीमती अमृता द्विवेदी महिला स्वा0कार्यकर्ता उप0स्वा0केन्द्र करसरा कोठी की ओर पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला सतना म0प्र0

To be uploaded  
W.A.

07-01-2019  
उप संचालक (परिवार कल्याण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये  
मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन  
क्र./स्था./2019/117

खरगोन, दिनांक :- 4-1-19

**--: आदेश :-**

उप संचालक (प.क.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं.-3/प.क./सेल-3/2019/03/भोपाल, दिनांक 02.01.2019 में दिये गये निर्देशानुसार श्रीमती हेमलता मकवाना (सोलंकी) की नियुक्ति 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद पर उप स्वा. केन्द्र टाण्डावाड़ी विकासखण्ड झिरन्या में की गई थी, में संशोधन करते हुए संबंधित की पदस्थापना उप स्वा. केन्द्र सेजगांव ब्लॉक महेश्वर में ए.एन.एम. के रिक्त पद पर किये जाने के निर्देश दिए गए होने से संबंधित की पदस्थापना उप स्वा. केन्द्र सेजगांव ब्लॉक महेश्वर में रिक्त ए.एन.एम. के पद पर की जाती है। शेष शर्तें इस कार्यालय के आदेश क्रं./स्था./2018/9074/खरगोन, दिनांक 06.10.2018 अनुसार यथावत रहेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक :- 4-1-19

क्र./स्था./2019/118

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
3. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. उप संचालक (प.क.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला खरगोन।
7. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सामु. स्वा. केन्द्र झिरन्या की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित को तत्काल संशोधित पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावे।
8. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सामु. स्वा. केन्द्र महेश्वर।
9. श्रीमती हेमलता मकवाना (सोलंकी) उप स्वा. केन्द्र टाण्डावाड़ी ब्लॉक झिरन्या।

To be uploaded

07-01-2019  
उप संचालक (परिवार कल्याण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

Hemlata

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला खरगोन